



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/252/12

Dt: 27.11.2012

Sh. Harjindra Singh (Advocate)

S/o- Sh. Baldev Singh

गांव : उगाड़ा

डाकखाना : बाड़ा (कुलदीप नगर)

तहसील व जिला : अम्बाला

हरियाणा - 133 001

Sub: Information under RTI Act- 2005

Ref: Your Application dt: 01.10.2012 received under APIO/ UMB letter no. UMB/RTI/ dt: 14-11-2012, on 19.11.2012

उपरोक्त विषय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्राप्त टिपणी निम्नलिखित है :-

1. अम्बाला जिला के गांव उगाड़ा डाकखाना बाड़ा (कुलदीप नगर) तहसील व जिला अम्बाला हरियाणा में किसी रेलवे लाइन या प्रोजेक्ट बारे कोई सर्वे फाइनल नहीं किया गया है । इस गांव में कम्पनी एक्ट- 1956 के अंतर्गत अक्टूबर 2006 में डी एफ सी सी आई एल की स्थापना के बाद पूर्वी माल भाड़ा गलियारा के लिए अम्बाला में वैकल्पिक रूट की संभावना तलाषने के उद्देश्य से जून 2008 से नवम्बर 2008 के मध्य सर्वे किया गया था जिस पर वर्तमान में कार्य बंद कर दिया गया है।
2. यह सर्वे रेलवे संशोधन अध्यादेश-2008 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु किया गया था।
3. यह सर्वे निम्नलिखित कम्पनी द्वारा किया गया था :-

M/s Scott Wilson India Pvt. Ltd., A-26/4, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-44.

4. गांव बाड़ा में रेलवे परियोजना से सम्बंधित मात्र एक सर्वे पूर्वी माल भाड़ा गलियारा के लिए अम्बाला में वैकल्पिक रूट की संभावना तलाषने के उद्देश्य से किया गया था। यह माल भाड़ा गलियारा पंजाब में लुधियाना से दनकुई पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है।
5. यह माल भाड़ा गलियारा पंजाब में लुधियाना से दनकुई पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है।

DESPATCH

29/11

6. जिला अम्बाला के जिन गांव से हो कर यह गलियारा गुजरेगा उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	गांव का नाम	तहसील
1	नाहरा	बराड़ा
2	मिलक शेखा	बराड़ा
3	सियुन माजरा	बराड़ा
4	बराड़ा	बराड़ा
5	मोजगर	बराड़ा
6	सज्जन माजरी	बराड़ा
7	दाउदपुर	बराड़ा
8	चहल माजरा	बराड़ा
9	तंदवाल	बराड़ा
10	हरयोली	बराड़ा सब तहसील साहा
11	नगला	बराड़ा सब तहसील साहा
12	घसीटपुर	बराड़ा सब तहसील साहा
13	बीटा	बराड़ा सब तहसील साहा
14	धुराला	बराड़ा सब तहसील साहा
15	समलखा	बराड़ा सब तहसील साहा
16	दुखेड़ी	अम्बाला
17	ब्राह्मन माजरा	अम्बाला
18	घसीटपुर	अम्बाला
19	षहपुर	अम्बाला
20	नन्हेरा	अम्बाला
21	अम्बाला कैंन्ट	अम्बाला
22	जण्डली	अम्बाला
23	पट्टी अचारजा	अम्बाला
24	पट्टी मेहर	अम्बाला
25	पट्टी कलालन	अम्बाला
26	पट्टी जट्टान	अम्बाला
27	घेल	अम्बाला

7. गांव उगाड़ा व गांव बाड़ा की जमीनों पर जो सर्वे किया गया था उसका कार्य पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया था अतः खेवट, खतोनी एवं खसरा नम्बरों के कोई विशेष नम्बर निर्धारित नहीं किए गये थे एवं यह सर्वे मात्र एक रूट पर ही किया गया था।


8. रेलवे फ्रेट कोरीडोर का कोई भी प्रोजेक्ट या सर्वे गांव उगाड़ा या गांव बाड़ा वर्तमान में pending नहीं है।

9. जमीन की दरों का मुआवजा जिला राजस्व अधिकारी द्वारा एवं कमिश्नर अम्बाला की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाता है इसके लिए रेलवे संशोधन अध्यादेश 2008 में विषय प्रावधान दिये गए हैं। दरों के निर्धारण में इस कार्यालय की कोई परोक्ष भूमिका नहीं है।
10. रेलवे प्रोजेक्ट के लिये गांव उगाड़ा व गांव बाड़ा में कोई रूप रेखा तैयार नहीं की गई है।
11. प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस स्थान या गांव से संबंधित किस प्रकार की सूचना चाहिए। अधिकरण की जाने वाली जगह की चौड़ाई व लम्बाई हर स्थान पर अलग-अलग है एवं प्रति एकड़ में स्थान विशेष के अनुसार पूरे क्षेत्रफल से लेकर एक मरला तक भूमि अधिग्रहित की गई है।
12. इस परियोजना के सम्बंध में जमीन अधिग्रहण सम्बंधित सभी सूचनाएँ भारत सरकार के गजट दिनांक 20-04-2010 (S.O.916(E)) एवं 22-12-2010 (S.O.3004(E)) में प्रकाशित किये गये हैं।
13. इस कार्यालय के द्वारा रेलवे की कोई भूमि C.N.G Company Ghail को किसी आधार पर नहीं दी गयी है।
14. रेलवे के लिए भूमि अर्जित करने के लिए इस परियोजना हेतु प्रत्येक जिले में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गये हैं, उन्हीं के द्वारा रेलवे संशोधन अध्यादेश 2008 के प्रावधानों के अनुसार दरों का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि गांव बाड़ा व उगाड़ा में भूमि अर्जन हेतु इस कार्यालय के अधीन वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है अतः इस सम्बंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।
15. अम्बाला शहर के 5-6 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ने वाले गाँवों के जो रेट इस परियोजना से सम्बंधित भूमि अर्जन में दिये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	भूमि की दर
1	घसीटपुर	900000/- प्रति एकड़
2	शाहपुर	1200000/- प्रति एकड़
3	नन्हेडा	20000/- प्रति मरला
4	अम्बाला कैंन्ट	1200000/- प्रति एकड़
5	जण्डली	1800/- प्रति वर्ग गज
6	पत्ती मेहर	1800/- प्रति वर्ग गज
7	पत्ती अचारजां	1500/- प्रति वर्ग गज
8	पत्ती कलालां	1200000/- (कृषि भूमि) प्रति एकड़, 1500/- प्रति वर्ग गज (रिहाईषी भूमि)
9	पत्ती जट्टां (पत्ती रंगड़ा)	1200000/- प्रति एकड़
10	घेल	900000/- प्रति एकड़

उपरोक्त दरों के अतिरिक्त 60प्रतिशत सोलेषियम भी मुआवजे के रूप में दिया गया है।

16. वर्तमान में ग्राम उगाड़ा व ग्राम वाड़ा में पुर्वी माल भाड़ा गलियारा से सम्बन्धित कोई रेलवे ट्रैक या प्रोजैक्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया जा सकता।
17. वर्तमान में ग्राम उगाड़ा व ग्राम वाड़ा में पुर्वी माल भाड़ा गलियारा से सम्बन्धित कोई रेलवे ट्रैक या प्रोजैक्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः सैक्शन 4 का कोई नोटिस प्रस्तावित नहीं है।
18. वर्तमान में ग्राम उगाड़ा व ग्राम वाड़ा में पुर्वी माल भाड़ा गलियारा से सम्बन्धित कोई रेलवे ट्रैक या प्रोजैक्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया जा सकता।
19. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कि ग्राम उगाड़ा व ग्राम वाड़ा में पुर्वी माल भाड़ा गलियारा से सम्बन्धित कोई रेलवे ट्रैक या प्रोजैक्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में भू-स्वामियों को कोई सूचना नहीं दी गई।



(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/UMB